

उत्तराखण्ड शासन

आबकारी अनुभाग

संख्या: 392/ XXIII / 2018 / 04(01) / 2018

देहरादून: दिनांक: 13 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या-250/XXIII/2018/04(01)/2018 दिनांक 19 मार्च 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रख्यापित आबकारी नीति के नियम-6, 8, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29 में निम्नवत् आंशिक संशोधन किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. **नियम-6 :-** मदिरा की दुकानों का समूह बनाकर व्यवस्थापन किये जाने के स्थान पर दुकानवार व्यवस्थापन किया जाएगा। तदनुसार इस सीमा तक नियम-6 संशोधित समझा जाय।

2. **नियम-8 :-** राज्य में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोरज में विदेशी मदिरा की रू0 400 प्रति बोतल ई0डी0पी0 से अधिक ई0डी0पी0 की बोतलों/समुद्रपारीय आयातित बीयर/समुद्रपारीय आयातित वाईन एवं भारत में बनी वाईन की बिक्री करने की अनुमति दी जायेगी तथा इनका अनुज्ञापन शुल्क रू0 5.00 लाख प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिए नियत होगा।

डिपार्टमेन्टल स्टोर (मॉल्स के बाहर) में निर्गत अथवा नवीनीकृत किये जाने वाले अनुज्ञापनों हेतु सम्बन्धित स्टोर में मदिरा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों(उत्पाद)की बिक्री की न्यूनतम सीमा रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) निर्धारित की जाती है, अर्थात् डिपार्टमेन्टल स्टोर में नया अनुज्ञापन तभी दिया जायेगा जब वह सम्बन्धित विभाग से प्रदत्त प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0 सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करेगा कि उसका गत वित्तीय वर्ष में अथवा आवेदन करने की तिथि तक वित्तीय वर्ष में मदिरा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों (उत्पाद) की बिक्री का न्यूनतम टर्नओवर रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) रहा है।

नवीनीकरण हेतु यह शर्त आगामी वर्ष से लागू होगी। उपरोक्त सीमा तक नियम-8 संशोधित समझा जाए।

3. **नियम-18 :-** (क) विदेशी मदिरा की भरी बोतलों के मामले में उत्पाद शुल्क की दर ई0डी0पी0 वार निम्नवत् होगी :-

क्र० सं०	एक्सआसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0 (रू0 में)
1	रू0 40.00 तक	204
2	रू0 40.01 से रू0 55.00 तक	222
3	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	252
4	रू0 75.01 से रू0 105.00 तक	324
5	रू0 105.01 से रू0 200.00 तक	396
6	रू0 200.01 से रू0 300.00 तक	480
7	रू0 300.01 से रू0 400.00 तक	588
8	रू0 400.01 से अधिक	714

उपरोक्त सीमा तक नियम-18 संशोधित समझा जाए।

4. **नियम-19 :-**

(दो) विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्नवत् निर्धारित की जाती हैं :-

क्र०सं०	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	एम0जी0डी0 (प्रति बोतल) (रू0 में)
1.	रू0 40.00 तक	158
2.	रू0 40.01 से रू0 55.00 तक	168
3.	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	184
4.	रू0 75.01 से रू0 105.00 तक	211
5.	रू0 105.01 से रू0 200.00 तक	248
6.	रू0 200.01 से रू0 300.00 तक	272

7.	रु0 300.01 से रु0 400.00 तक	306
8.	रु0 400.01 से अधिक	348

उपरोक्त सीमा तक नियम-19 संशोधित समझा जाए।

5. नियम-20 :-

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम को छोड़कर) विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार ई0डी0पी0 मूल्य (प्रति बोतल) पर निर्धारित की जायेगी :-

क्र० सं०	ई0डी0पी0 मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0(रु0 में)
1	रु0 40.00 तक	204
2	रु0 40.01 से रु0 55.00 तक	222
3	रु0 55.01 से रु0 75.00 तक	252
4	रु0 75.01 से रु0 105.00 तक	324
5	रु0 105.01 से रु0 200.00 तक	396
6	रु0 200.01 से रु0 300.00 तक	480
7	रु0 300.01 से रु0 400.00 तक	588
8	रु0 400.01 से अधिक	714

उपरोक्त सीमा तक नियम-20 संशोधित समझा जाए।

6. नियम-22 :-

(1) एफ०एल०-2/2बी/2एस/2डब्ल्यू/एफ०एल०-2बी (आई) अनुज्ञापन विदेशी मदिरा के निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता अथवा बॉण्ड के मालिकाना हक इकाइयों को केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त सीमा तक नियम-22 संशोधित समझा जाए।

7. नियम-24 :-

राज्य से बाहर के विदेशी मदिरा निर्माता अथवा उनके अधिकृत विक्रेता या ऐसी इकाई जिसको सम्बन्धित ब्रान्ड के भारत में विक्रय करने के स्वामित्व/विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त है, उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/स्काँच इत्यादि के ब्राण्ड्स उत्तराखण्ड स्थित अपने बॉण्ड लाईसेंसों एवं एफ०एल०-2 के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे।

उपरोक्त सीमा तक नियम-24 संशोधित समझा जाए।

8. नियम-26 व 27 :- नियम-26 व 27 को निम्नलिखित सीमा तक आंशिक रूप से संशोधित समझा जाए :-

26. होटल बार लाईसेंस एफ०एल०-6 (सम्मिश्र) बार की लाईसेंस फीस होटल के लिये निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

क्र० सं०	कमरों की संख्या	एफ०एल०-6 (सम्मिश्र) अनुज्ञापन के लिए वर्ष या वर्ष के भाग हेतु धनराशि।
1.	20 कमरों तक	रु0 03 लाख
2.	20 कमरों से अधिक किन्तु 60 से अनधिक तक	रु0 06 लाख
3.	60 कमरों से अधिक	रु0 10लाख
4.	5 स्टॉर कैटेगरी युक्त होटल या वह होटल जिनका प्रति कमरा प्रतिदिन किराया रु0 15,000 या उससे अधिक हो	रु0 15 लाख
	गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगम को एफ०एल०-06 (सम्मिश्र) बार अनुज्ञापन हेतु शुल्क। गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगम के द्वारा एफ०एल०-06 (सम्मिश्र) बार अनुज्ञापन संचालन हेतु आउट सोर्स करने पर यह छूट उक्तवत् अनुमन्य रहेगी।	उपरोक्त निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

27. रेस्त्रां बार/क्लब बार लाईसेंस हेतु निम्नानुसार लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है :-

क्र० सं०	बार का प्रकार	लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग हेतु (रु० में)
1.	रेस्त्रां बार	रु० 03 लाख
2.	बीयर बार (1) रेगुलर बीयर बार (2) सीजनल बीयर बार	रु० 1.30 लाख रु० 0.75 लाख
3.	गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को एफ०एल०-07 बार अनुज्ञापन हेतु शुल्क गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के द्वारा एफ०एल०-07 बार अनुज्ञापन संचालन हेतु Out Source करने पर यह छूट उक्तवत् अनुमन्य रहेगी।	उपरोक्त निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
4.	क्लब बार (1) क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिए) (2) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिए) (3) क्लब बार (500 से अधिक सदस्यों के लिए) (4) राजकीय कार्मिकों हेतु प्रदत्त क्लब बार लाईसेंस	रु० 03 लाख रु० 05 लाख रु० 10 लाख रु० 25 हजार
5.	अकेजनल बार परमिट (प्रतिदिन) (1) वैडिंग प्वाइन्ट (2) रेस्टोरेन्ट/क्लब/होटल(वाणिज्यक् प्रयोजन हेतु) (3) निजी स्थान पर व्यक्तिगत समारोह हेतु	रु० 5 हजार मात्र रु० 10 हजार मात्र रु० 02 हजार मात्र

नियम-26 व 27 के अन्तर्गत लाईसेंस आवेदक के अनुरोध पर तीन वर्ष की एकमुश्त फीस जमा करने पर तीन वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा।

तीन वर्ष की एकमुश्त लाईसेंस फीस जमा करने पर दस प्रतिशत छूट दी जाएगी।

9. नियम-28 :- निम्नलिखित सीमा तक नियम-28 आंशिक सीमा तक संशोधित समझा जाए :-

थोक अनुज्ञापन (एफ०एल०-2/2बी/2एस/2डब्ल्यू इत्यादि) से निकासी हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा पर एम०जी०डी० की दर प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्नानुसार होगी:-

क्र०सं०	एक्स आसवनी मूल्य	एम०जी०डी० की दर (प्रति बोतल) रु०में
1.	रु० 55.01 से रु० 75.00 तक	276
2.	रु० 75.01 से रु० 105.00 तक	317
3.	रु० 105.01 से रु० 200.00 तक	372
4.	रु० 200.01 से रु० 300.00 तक	408
5.	रु० 300.01 से रु० 400.00 तक	459
6.	रु० 400.01 से अधिक	522
7.	बीयर/ब्रीजर के 500 एम०एल०, 330 एम०एल०, 325 एम०एल० एवं 275 एम०एल० के पैक, ओवरसीज लिकर के 50 एम०एल० व 90 एम०एल० के पैक	रु० 15/- प्रति पैक

10. नियम-29 :- निम्नलिखित सीमा तक नियम-29 आंशिक रूप से संशोधित समझा जाए :-

वर्ष 2018-19 में किसी भी होटल/रेस्त्रांवार जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष में पके हुये भोजन की बिक्री रू0 10 लाख एवं बियर एवं वाईन बार में रू0 6.25 लाख से कम रही हो, का लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

11. शासन की अधिसूचना संख्या:-250/XXIII/2018/04(01)/2018 दिनांक 19 मार्च 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए, शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।


12. उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू समझी जाएगी।

(डा० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 392 /XXIII/2018/04(01)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा० आबकारी मंत्री जी, को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, जिला-हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 50 प्रतियां, अपर मुख्य सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4-सुभाष रोड देहरादून तथा 50 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव